


2011-12




सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA

|

| |

ANNUAL PROGRAMME
FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI



()

,

ñ

,

-

ó

-

-

õ

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

2011-12



GOVERNMENT OF INDIA

|

| | |

ANNUAL PROGRAMME
FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

(), , , , , ý - 110003

Published by Department of Official Language (Ministry of Home Affairs),
IInd Floor, Loknayak Bhawan, Khan Market, New Delhi-110003.

/Telephone 24698054, 24643622

E-mail : ru-ol@mha.nic.in ; dirimp_ol@nic.in ; techcell-ol@nic.in

विषय-सूची

<u>क्रम सं.</u>	<u>विषय</u>	<u>पृष्ठ सं.</u>
1.	प्रस्तावना	1-3
2.	राजभाषा नीति से संबन्धित महत्वपूर्ण निर्देश	4-8
3.	हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2011-12 का वार्षिक कार्यक्रम - परिशिष्ट-I	9-11
4.	प्रस्तावना का परिशिष्ट-II	12-14
5.	प्रस्तावना का परिशिष्ट-III क से III थ	15-40
6.	राजभाषा नीति से संबन्धित महत्वपूर्ण निर्देशों का अनुबन्ध-I	41-43

: 71.5, 69.9 79.6
 ú | | ¼
 , ö ¼
 ' ' ¼ 77.1 76.7 ø

2. | 2011-12 | | ' | 0
 ' | | |
 | - , |
 ¼ 20 () ñ ø
 ò Đ , - | ¼ ð

2.1 | | | |
 ' ' ¼ ' ' ¼ é /
 é ¼ 100% | , ¼
 ' ' ¼ | 90% |
 ' ' ¼ , ' ' ¼ é |
 85% , ¼ |
 55%

3. ¼ ñ
 ¼ 20%
 ö ò |
 /
 ' ' ' ' ' ' ¼ : 65%, 55% 30%
 | ¼ õõ
 ú

4. (|) 50%
 “ ” ø
 ¼ | , Đ - ,
 / , |

5. I I -

6. I 2010-11 ÿ ý
I ā -

2), 04.02.2011 . 12019/09/2010- . . (I-
I
/ / : -II III-
III - I

¼ I
ā / , ý /
I , I ò I
ý ý ; ð
() I ñ ; ñ
½ ¼ I
; - ¼ - I :
¼ /

7. ò / / I , I ¼ ,
ò , I ú ò
ñ , I 2011-12 I I ý
I , ç I ¼
(ò)
ò ,

ñ l

, , ñ l / l : ú y

:-

, 1963

, 1963 3(3) l y , ñ ,
ñ , 1/2 ,
1/4 - , 1/2 , 1/2 ,

, 1976

() 12 y :-

(1) ñ l ñ ð

(i) (2)

;

(ii)

(2) ú l

() 11 y , ñ ñ

l , l , l ñ l y ñ

() 5 y l

() l l l 1/2
l 10(4) l 8(4)

ÿ
l , ò , ò , ò
l ,

ý 18.01.1968

1 ý ÿ :

() ç 343 ç
351 ÿ

, ñ ÿ ò

() l ò
é l -
é l : l ò

()
ÿ
ç ½
ú ½
l : ¼

() ¼
ç ¼
ú ÿ ò

1988 2008

:-

() ñ ¼ , l ý , ¼
ò : ò ¼ ¼ ¼ ¼
¼ l

ø

() ñ | ú :
| ñ 15 ø
¼

() / / | , |
| 2011-12 | , ç
| ò ò , 31.05.2012

I ò

() , 16 ¼ | 30.11.2010
| (-1) ß
| , ¼
| ò

ò ñ
¼ ¼ | ò |
() | |
¼ ý , ý
|

ñ | ø - ¼
() | ò

ñ 06

() / / | 'LILA' | ä
| ö ø

() ö

- :
- | ö | ,
- , - , |
- (

)

|

() ÷ - (ö
) , ½ î ,
 - () ñ - ø
<http://rajbhasha.gov.in> ÷
 ø

() ÷ | | , ö
 “ - ” , | ()
 , † ÷

() , , ½
 () ý /
 ¼ ¼ ñ /
 . . ½ ½ |
 ö / ½ ö â

(ö)

ö ,

ñ l

, , ñ l / l : ú y

:-

, 1963

, 1963 3(3) l y , ñ ,
ñ , 1/2 ,
1/4 - , 1/2 , 1/2 ,

, 1976

() 12 y :-

(1) ñ l ñ ð

(i) (2)

;

(ii)

(2) ú l

() 11 y , ñ ñ

ì , ì , l ñ l y ñ

() 5 ÿ l

() l l l 1/2
l 10(4) l 8(4)

- () / / l ¼ ñ , ¼
- () l ð l ¼ / l
- / l ¼ l /
- l ½
- () / / l l ð ¼
- ¼ l , ÿ ¼ ¼ ð ¼ ¼ ã ¼
- () ñ , ø (- , -)
- ð ø ø , l
- () / ñ ø
- () l ð ñ / ÿ ,
- / l l
- () / / l - l l l
- ø ø :
- () ð l l
- l

() ñ | ú : -
| ñ 15 - |
¼

() / / | , |
| 2011-12 | | Ç
| õ õ , 31.05.2012

I õ

() , 16 ¼ | 30.11.2010
| (-I) b
| , , ¼
| õ

õ ñ
¼ ¼ | õ |
() | |
¼ ý , ý
|

ñ | ø - ¼
() | õ

ñ 06

() / / | 'LILA' | ä
| õ ø

() õ
:

•

- I ö
- ()

() ÷ - (ö ½ î ,
 - () ñ - ø
<http://rajbhasha.gov.in> ÷
 ø

() ÷ I I , ö
 “ - ” , I ()
 , † ÷

() , ½
 () ý
 ¼ ¼ ñ /
 . . ½ ½ I
 ö / ½ ö â

(ö)

ö ,

हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2011-2012 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (तार,बेतार,टैलेक्स, फैंक्स,आरेख, ई-मेल आदि सहित)*	1.क क्षेत्र से क क्षेत्र को 75-100% 2.क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 65-100% 3.क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 50-65% 4.क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति क से क- 75-100% क से ख 65-100%	1.ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 75-90% 2.ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 65-90% 3.ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 45-55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति ख से क -75-90% ख से ख -65-90%	1.ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2.ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3.ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण*	55- 75%	40- 50%	20- 30%
4.	हिंदी टंकक,आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
5.	हिंदी में डिक्टेशन	65%	55%	30%
6.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
8.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिन्दी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेन ड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिन्दी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय	50%	50%	50%
9.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%	100%	100%

* | 0 | | 0 , | 2011-12 / / 0 ,

10. वैबसाइट	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)
11. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)	100%(द्विभाषी)
12. (I) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)	25%(न्यूनतम)
(II) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
(III) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
13. राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 02 बैठकें (न्यूनतम)	
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
14. कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		
15. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/बैंक/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सारा कार्य हिंदी में हो	"क" क्षेत्र 40%	"ख" क्षेत्र 30%	"ग" क्षेत्र 20% (न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/ निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं हो, में "क" क्षेत्र में कुल कार्यक्षेत्र का 40% "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिन्दी में किया जाए ।

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

- | | |
|---|---|
| (क) हिंदी में पत्राचार | 30% |
| (ख) गठित नराकास की संख्या और आयोजित बैठकों की संख्या
(नराकास का गठन किसी नगर में 10 कार्यालयों की उपस्थिति की दशा में किया जाये) | वर्ष में न्यूनतम 02 बैठकें |
| (ग) यूनीकोड समर्थित द्विभाषी कंप्यूटरों की उपलब्धता | 100% |
| (घ) हिंदी टंकक/आशुलिपिक | प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक |
| (ङ) दुभाषियों की व्यवस्था | प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और हिंदी से स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए दुभाषिए की व्यवस्था करा ली जाए । |

10. वैबसाइट	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
11. नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)	100% (द्विभाषी)
12. (I) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
(II) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
(III) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
13. राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 02 बैठकें (न्यूनतम)	
(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
14. कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%		
15. मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/बैंक/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सारा कार्य हिंदी में हो	"क" क्षेत्र 40%	"ख" क्षेत्र 30%	"ग" क्षेत्र 20% (न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/ निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं हो, में "क" क्षेत्र में कुल कार्यक्षेत्र का 40% "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिन्दी में किया जाए।

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

- | | |
|---|---|
| (क) हिंदी में पत्राचार | 30% |
| (ख) गठित नराकास की संख्या और आयोजित बैठकों की संख्या
(नराकास का गठन किसी नगर में 10 कार्यालयों की उपस्थिति की दशा में किया जाये) | वर्ष में न्यूनतम 02 बैठकें |
| (ग) यूनीकोड समर्थित द्विभाषी कंप्यूटरों की उपलब्धता | 100% |
| (घ) हिंदी टंकक/आशुलिपिक | प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक |
| (ङ) दुभाषियों की व्यवस्था | प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और हिंदी से स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए दुभाषिए की व्यवस्था करा ली जाए । |

